फर्द अहकाम

परखण्ड अधिकारी चाकसू, जयपुर ग्रामीण

फूलचन्द __________ बनाम __________ ओमप्रकाश

/वर्ष : 47 /2024

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी स. ① ता ⑤ को सम्मन जरिए डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। अप्रार्थी स. ① ता ④ ने सम्मन लेने से इन्कार किया। व अप्रार्थी स. ⑤ के सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं। अतः अप्रार्थी स. 1 ता 5 की तामील सम्यक मानी जाती है। अप्रार्थी स. ⑥ का जवाब बंद किया जाता है। बहस वकील प्रार्थी की सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है एवं वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के मद स. ② में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि पर उभयपक्षों को तार्फैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। sd/- उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	